रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2485] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 30, 2019/श्रावण 8, 1941
No. 2485] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 30, 2019/SHRAVANA 8, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2019

का.आ. 2733(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण तेलंगाना (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, तेलंगाना कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

1.	प्रोफेसर एम. आनंद राव, # 8-48 /1, स्ट्रीट-8 हबसीगुडा 500007, हैदराबाद।	अध्यक्ष;
2.	डॉ.बी. नरसैया, मका. नं. 6-3-98, 4th क्रॉस, हस्तिनापुरी, सैनिकपुरी, सिकंदराबाद-500094, तेलंगाना	सदस्य;
3.	सरकार के विशेष सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, तेलंगाना सरकार।	सदस्य-सचिव।

2. प्राधिकरण, तेलंगाना के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

3. प्राधिकरण, तेलंगाना ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. प्राधिकरण, तेलंगाना अपने विनिश्चय तेलंगाना राज्य के लिए पैरा 5 के अधीन गठित राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.) की सिफारिशों के आधार पर अपने विनिश्चय देगा ।

5. केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण, तेलंगाना की सहायता के उद्देश्य के लिए तेलंगाना राज्य सरकार के परामर्श से राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् एस.ई.ए.सी., तेलंगाना कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:--

1. प्रोफेसर चौ. कृष्णा रेड्डी, -अध्यक्ष;
मका.नं. 2-2-20 /एल/7, गोल्डेन टावर्स-1, # 401
डीडी कॉलोनी, हैदराबाद 500013, तेलंगाना ।

2. डॉ. (श्रीमती) तृप्ति विजया लक्ष्मी - सदस्य;
सहायक प्रोफेसर (सीनियर स्केल) और अध्यक्षा,
पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अध्ययन बोर्ड
पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्थान केंद्र
जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
हैदराबाद, तेलंगाना।

3. श्री रवींद्र समाया मंत्रि, -सदस्य;
मका.नं.3-5-44/1, अर्काडिया अपार्टमेंट नंबर 301
ईडन गार्डन रोड, हैदराबाद -500 001, तेलंगाना।

4. श्री सुरेश -सदस्य;
बी-106, निज़ामपेट रोड, कुकट पल्ली
हैदराबाद, तेलंगाना।

5. डॉ. वेमुला विनोद गौड़, -सदस्य;
मका.नं.6-156 श्रीदुर्गा एस्टेट,
दीप्तीसरीनगर, मदिनागुड़ा,
हैदराबाद -500 049, तेलंगाना।

6. डॉ. के. शिवकुमार -सदस्य;
फ्लैट 302, प्लॉट 328, मेहर निवास
6वां चरण, कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड (केपीएचबी), कुकटपल्ली
हैदराबाद -500 072, तेलंगाना।

7. प्रोफेसर ए. पनासा रेड्डी, -सदस्य;
प्रोफेसर और प्रमुख, रसायन विज्ञान विभाग,
विश्वविद्यालय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विभाग, उस्मानिया विश्वविद्यालय
हैदराबाद -500 007, तेलंगाना।

8. प्रोफेसर सी. वेंकटेश्वर, -सदस्य;
वनस्पति विज्ञान विभाग,
यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस, उस्मान विश्वविद्यालय
हैदराबाद -500 007, तेलंगाना ।

IndiaCode

9. प्रोफेसर पी. रेड्डी नाइक -सदस्य;
हेड, प्राणि विज्ञान विभाग
यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस, उस्मानिया विश्वविद्यालय
हैदराबाद 500 007, तेलंगाना ।

10. डॉ.पी. राधा कृष्ण -सदस्य;
मका.नं. 3-15-219, बहार 9/40, सहारा राज्य
मंसूराबाद, एल.बी.नगर
हैदराबाद -500068, तेलंगाना

11. श्री बिल्ला येला रेड्डी, -सदस्य;
1-8-559, बालासमुद्रम,
हनमकोंडा वारंगल - 506001, तेलंगाना।

12. संयुक्त मुख्य पर्यावरण अभियंता, -सचिव।
तेलंगाना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तेलंगाना।

6. एस.ई.ए.सी., तेलंगाना के अध्यक्ष और सदस्य इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

7. एस.ई.ए.सी., तेलंगाना ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगी जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं ।

8. एस.ई.ए.सी., तेलंगाना सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा ।

9. तेलंगाना राज्य सरकार, प्राधिकरण तेलंगाना और एस.ई.ए.सी., तेलंगाना के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को अधिसूचित करेंगी और सभी वित्तीय और संभार तंत्र संबंधी सहायता, जिसके अंतर्गत वास-सुविधा, परिवहन और उनके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगी ।

10. प्राधिकरण, तेलंगाना के अध्यक्ष और सदस्यों तथा एस.ई.ए.सी., तेलंगाना के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक की फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता तेलंगाना राज्य सरकार के नियमों के अनुसार संदत्त किया जाएगा ।

[फा. सं. जे-11013/12/2015-आई.ए.-I (एम)]

अरविंद नौटियाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2019

S.O. 2733(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Telangana (hereinafter referred to as the Authority, Telangana) comprising of the following Members, namely: —

1. Professor M. Ananda Rao, -Chairman;
 #8-48/1, Street No. 8,
 Habsiguda - 500007, Hyderabad.
2. Dr. B Narsaiah, -Member;
 H. No. 6-3-98, 4th Cross, Hastiinapuri, Sainikpuri,
 Secunderabad – 500094, Telangana
3. Special Secretary to the Government, -Member Secretary.
 Environment, Forests, Science and Technology Department,
 Government of Telangana.

2. The Chairman and Members of the Authority, Telangana shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Telangana shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

4. The Authority, Telangana shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) constituted under paragraph 5 for the State of Telangana.

5. For the purpose of assisting the Authority, Telangana, the Central Government in consultation with the State Government of Telangana, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) (hereinafter referred to as SEAC, Telangana) comprising of the following Members, namely:-

1. Professor Ch. Krishna Reddy, -Chairman;
 H.No. 2-2-20/L/7, Golden Towers-II, #401,
 D.D. Colony, Hyderabad - 500013, Telangana.
2. Dr.(Mrs.) Thatiparthi Vijaya Lakshmi, -Member;
 Assistant Professor (Senior Scale) and Chairperson,
 Board of Studies Environmental Science and Technology,
 Centre for Environment Institute of Science and Technology,
 Jawaharlal Nehru Technological University,
 Hyderabad, Telangana.
3. Shri Ravindra Samaya Mantri, -Member;
 H.No.3-5-44/1, Arcadia Apartment No.301,
 Eden Garden Road, Hyderabad – 500 001, Telangana.
4. Shri Suresh, -Member;
 B-106, Vertex Prime, Nizampet Road, Kukat Pally,
 Hyderabad, Telangana.
5. Dr. Vemula Vinod Goud, -Member;
 H.No.6-156, Sridurga Estate,
 Deepthisrinagar, Madinaguda,
 Hyderabad - 500 049, Telangana.
6. Dr. K. Shivakumar, -Member;
 Flat 302, Plot 328, Mehar Nivas,
 6th Phase, Kukatpally Housing Board (KPHB), Kukatpally,
 Hyderabad - 500 072, Telangana.
7. Professor A. Panasa Reddy, -Member;
 Professor and Head, Department of Chemistry,
 University College of Engineering, Osmania University,
 Hyderabad - 500 007, Telangana.

IndiaCode

8.	Professor C. Venkateshwar, Department of Botany, University College of Science, Osmania University, Hyderabad - 500 007, Telangana.	-Member;
9.	Professor B. Reddya Naik, Head, Department of Zoology, University College of Science, Osmania University, Hyderabad 500 007, Telangana.	-Member;
10.	Dr.P. Radha Krishna, H. No. 3-15-219, Bahar 9/40, Sahara States Mansoorabad, L. B. Nagar Hyderabad-500068, Telangana.	-Member;
11.	Shri Billa Yella Reddy, 1-8-559, Balasamudram, Hanamkonda Warangal - 506001, Telangana.	-Member;
12.	Joint Chief Environmental Engineer, Telangana State Pollution Control Board, Telangana.	-Secretary.

IndiaCode

6. The Chairman and Members of SEAC, Telangana shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The SEAC, Telangana shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

8. The SEAC, Telangana shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

9. The Government of Telangana shall notify an agency to act as the Secretariat for the Authority, Telangana and SEAC, Telangana and the Secretariat shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of discharging their statutory functions.

10. The sitting fee, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority, Telangana and SEAC, Telangana shall be paid as per the rules of the State Government of Telangana.

[F. No. J-11013/12/2015-IA-I (M)]

ARVIND NAUTIYAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.07.30 21:35:32 +05'30'